प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिये शेष पाँच महीनों (मई से सितंबर 2022 तक) हेतु चावल और गेहूँ के आवंटन को संशोधित किया है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना:

- **परिचय:**
  - 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' को **कोविड-19** के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिये 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज' **(PMGKP)** के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था।
    - **वित्त मंत्रालय** इसका नोडल मंत्रालय है।
  - प्रारंभ में इस योजना की शुरुआत **तीन माह (अप्रैल, मई और जून 2020)** की अवधि के लिये की गई थी, जिसमें **कुल 80 करोड़ राशन कार्डधारक शामिल** थे। बाद में इसे नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था।
    - इस योजना के **चरण- I और चरण- II** क्रमशः **अप्रैल से जून, 2020** तथा **जुलाई से नवंबर, 2020** तक संचालित थे।
    - योजना का **तीसरा चरण मई से जून 2021** तक संचालित था।
    - योजना का **चौथा चरण जुलाई-नवंबर 2021** के दौरान संचालित किया गया।
    - समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों के प्रति चिंता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-जीकेएवाई योजना को और छह महीने अर्थात् सितंबर 2022 (चरण VI) तक बढ़ा दिया है।
  - इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली **(PDS)** के माध्यम से पहले से ही प्रदान किये गए 5 किलोग्राम अनुदानित खाद्यान्न के अलावा प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत **5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज (गेहूँ या चावल) मुफ्त** में उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  - PMGKAY के इस नए संस्करण में इसके महत्त्वपूर्ण घटकों में से एक का अभाव है जो कि वर्ष 2020 के PMGKAY में उपस्थित था: NFSA के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार के लिये प्रतिमाह 1 किलोग्राम मुफ्त दाल।
- **व्यय:**
  - PMGKAY चरण I-V में सरकार लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी।
  - PMGKAY-V में 53344.52 करोड़ रुपए की अनुमानित अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी होगी।

महत्त्व और उससे संबंधित चुनौतियाँ:

- **महत्त्व:**
  - यह उन **दैनिक श्रमिकों और अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमियों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण** है, जिन्होंने कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के मद्देनज़र अपनी नौकरी खो दी।
- **चुनौतियाँ:**
  - एक प्रमुख मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी अंतिम जनगणना (2011) पर आधारित हैं, हालाँकि तब से **खाद्य-असुरक्षा से जुड़े लोगों की संख्या में वृद्धि** हुई है, जो कि **अब इस योजना के तहत शामिल नहीं** हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pradhan-mantri-garib-kalyan-anna-yojana